

19.12.22 प्रार्थी आवेदक श्री जयप्रकाश द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश

करने पर पत्रावली को सीमे से तलब किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विज्ञो किये जाने का पेश कर निवेदन किया कि वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा उक्त वाद पत्र विज्ञो करना चाहता है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 23 नियम 1 के तहत कोई वादी किसी भी समय अपना दावा विज्ञो कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत दावा विज्ञोअल स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।



19/12/2022